सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 पौष 18, गुरुवार, शाके 1947– जनवरी 8, 2026 अंक 41
Vol. 77 Pausa 18 , Thursday, Saka 1947–January 8, 2026 No. 41

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1/12/ एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता वीराराम रेबारी (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व वीराराम (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो वाहन चालक (सबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में जिला कलक्टर कार्या, जयपुर हाल जिला कलक्टर कार्या. सिरोही (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था/थी, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरे पति/मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम वीराराम उपनाम.....(सिर्फ) को त्यागता/त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम वीराराम रेबारी तथा उपनाम वीराराम रेबारी ग्रहण करता/करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम वीराराम (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम वीराराम रेबारी द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता/करती हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम वीराराम तथा उपनाम..... (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में वीराराम रेबारी नाम के रूप में तथा वीराराम रेबारी उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा/करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा/करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी/पति, मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम वीराराम रेबारी उपनाम वीराराम रेबारी के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता/करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम वीराराम तथा वीराराम रेबारी का वर्णन किया है तथा दिनांक 22.12.2025 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम वीराराम रेबारी द्वारा जो पूर्व में वीराराम कहलाता था/कहलाती थी हस्ताक्षर किये है।

साक्षी :–
1. हरि सिंह देवल, उपखण्ड अधिकारी, सिरोही (राज.)।
2. मंगलाराम मीणा, तहसीलदार (भू.अ.) कार्यालय जिला कलेक्टर सिरोही।

वीराराम रेबारी
हस्ताक्षर
नया नाम : वीराराम रेबारी
पुराना नाम : वीराराम

प्रतिहस्ताक्षर
अल्पा चौधरी
जिला कलक्टर, सिरोही।

28031

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।